संख्या:211/2022/750/35-4-2022/001-35-4099/412/2021

प्रेषक,

विवेक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 18 जुलाई, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद मेरठ की विधान सभा क्षेत्र-मेरठ दक्षिण में शासनादेश संख्या-537/2021/2482/35-4-2021 दिनांक 18 दिसम्बर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से सम्बंधित 14 कार्यों की रू0 296.53 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 194.64 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी के पत्र संख्या-225/त्व0आ0वि0यो0/2021-22, दिनांक 23 जून, 2022 द्वारा उक्त स्वीकृत 14 कार्यों में से 09 कार्यों हेतु लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि का 75 प्रतिशत से अधिक का उपभोग होना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत 09 कार्यों हेतु लागत रू. रू. 236.89 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त रू. 135.00 लाख की धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय रू. 101.89 लाख (रूपये एक करोड़ एक लाख नवासी हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

	कार्य	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	वार्ड नं0-6 दिल्ली रोड़ स्थित सूर्यापुरम में मकान सं0-ए 13 से ट्रांसफार्मर तक सड़क निर्माण कार्य।	33.56	15.00	18.56
2	वार्ड नं0-6 ग्राम पूठा में परतपाल डेरी से जाटो वाले मंदिर की ओर इं0लॉ0 सड़क निर्माण कार्य।	18.56	15.00	3.56
3	वार्ड नं0-6 ग्राम पूठा में वाल्मीकि मन्दिर से गोपीचन्द वकील के घर तक इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य	24.96	15.00	9.96
4	वार्ड नं0-8 में सतवीर के मकान से लेकर सुभाष पंडित के घर तक सड़क निर्माण कार्य	19.35	15.00	4.35
5	वार्ड नं0-10 ग्राम अच्छरोंडा में बिजेन्द्र अग्रवाल की फैक्ट्री से आदेश जैन की फैक्टरी तक सड़क निर्माण कार्य	35.02	15.00	20.02
6	वार्ड नं0-13 शिवशक्ति विहार गली नं0-4 जे0एच0 आचार्य के मकान से पप्पू पाल के मकान तक सड़क निर्माण कार्य	23.37	15.00	8.37
7	वार्ड नं0-13 संजय विहार गली नं0-3 में टीटू के मकान से धोबन के मकान तक सड़क निर्माण कार्य।	29.07	15.00	14.07
8	वार्ड नं0-14 सेक्टर-8 शास्त्री नगर में म0सं0-7 से लेकर म0सं0-23 तक सड़क निर्माण कार्य।	19.46	15.00	4.46
9	वार्ड नं0-18 जागृति विहार सेक्टर-9 टंकी वाले पार्क के चारो तरफ मकान नं0-406 से 503 तक इ0लॉ0 टाइल्स निर्माण कार्य।	33.54	15.00	18.54
	योग:	**236.89**	**135.00**	**101.89**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 18 दिसम्बर, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक- 07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपए 1,01,89,000 (रूपये एक करोड़ एक लाख नवासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 50540433 70304 शहरी क्षेत्रों में सड़कों के चालू कार्यों हेतु एक मुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक- 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विवेक)
विशेष सचिव।

संख्या:211 /2022/750/35-4-2022(1)/001-35-4099/412/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0।
9- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, मेरठ।
13- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, मेरठ।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विवेक)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in